यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) -IV, राज्य कर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) -IV, राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरि. लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.09.2018 से 06.10.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.02.2018 से 17.02.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	15093.73
2016-17	13190.56
2017-18	4569.57

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**आवंटित बजट राशि (₹)**		**व्यय राशि (₹)**		**अवशेष/समर्पण (₹)**	
	आयोजनेत्तर	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**	**आयोजनागत**
2015-16						
2016-17			**N.A**			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) -IV, राज्य कर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - ..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर स-01 कर का न्यूनारोपण /अनारोपण ₹ 10.69 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

(अ**)** कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–** IV राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री परफेक्ट रेडियेटर्स एंड आयल कूलर्स प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा ₹ 23,46,077/- की "Railway oil cooling radiator" की बिक्री 5% की दर से की गयी थी| चुकीं उपरोक्त वस्तु "Railway oil cooling radiator"उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम -2005 के किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं थी अत: उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा| इस प्रकार उपरोक्त वस्तुओ की कुल बिक्री ₹ 23,46,077/- पर अन्तरीय दर 8.5% से ₹ 1,99,417/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम -2005 की अनुसूची II(b) की प्रविष्टि संख्या 89 से आच्छादित है उक्त वस्तु 5% की दर से आच्छादित है |

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बिक्रीत वस्तु अनुसुची II(b) की प्रविष्टी संख्या 89 से आच्छादित नहीं थी जिस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा|

(ब) कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–** IV राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्योवहारी सर्वश्री मिंडा साईं लिमिटेड, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा संगत वर्ष में ऑटो पार्ट्स की ₹ 29,22,12,798/- की बिक्री की गयी थी जिसमे ₹ 64,51,190/- का Sale Return दिखाया गया था तथा उसे घटा कर शेष ₹28,57,61,608/- पर कर दिया गया था| ₹ 64,51,190/- के Sale Return / Debit Note से सम्बंधित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाए गये है| अत: उक्त को बिक्री मानते हुए 13.5% की दर से ₹ 8,70,910/- का कर आरोपणीय था जो नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ₹ 64,51,190/- सेल रिटर्न के सम्बंध में डेबिट नोट पत्रावली पर संलग्न है|

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि इकाई द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया|

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-01 ब्याज की धनराशि का वसूल नही किया जाना ₹ 0.88 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नही किया जाता है। तो ऐसी धनराशि पर कर जमा करने के दिनांक तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-4**,** राज्यकर, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री परफेक्ट रेडियेटर एंड आयल कूलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के ऊपर राशि ₹ 1,49,654/- के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था जिस पर दिनांक 01.10.2013 से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था तथा व्यापारी द्वारा राशि ₹ 1,49,654/- चालान संख्या 48 द्वारा दिनांक 01.09.2017 को जमा करा दिया गया था किन्तु उक्त तिथि तक नियमानुसार ब्याज की राशि ₹ 87,922/- व्यापारी द्वारा जमा नहीं किया गया था उक्त बकाया को R-3 पंजिका से भी समाप्त कर दिया गया|

इसं संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर सूचित करने का आश्वासन दिया गया जिसकी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -02 अनियमित ITC का लाभ प्रदान किये जाने के कारण राजस्व हानि ₹ 0.67 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानों के अनुसार 4(2) से सम्बंधित अनुसूची – 3 से वर्णित वस्तुओ (wood एवं Timber) की खरीद पर ITC का लाभ अनुमन्य नहीं होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) – IV राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री एग्रोमेक इंजीनियर्स, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं व्यापारी सर्वश्री परफेक्ट रेडियेटर एंड आयल कूलर्स प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में निम्नलिखित कमियां पाई गयी :-

1. व्यापारी सर्वश्री एग्रोमेक इंजीनियर्स, हरिद्वार द्वारा संगत वर्ष में ₹ 6,22,425/- के ITC का दावा किया गया था | जिसमें ₹ 4,29,535/- के wood के क्रय पर 15% की दर से ₹64,430/- का दावाकृत ITC भी शामिल थी| चुकिं wood उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची – III से आच्छादित है | अत: उक्त वस्तु की प्रांतीय खरीद पर ₹ 64,430/- की ITC रिवेर्स योग्य थी|
2. व्योव्हारी सर्वश्री परफेक्ट रेडियेटर एंड आयल कूलर्स प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार द्वारा संगत वर्ष में ₹ 106811/- के ITC का दावा किया गया था| जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था जाँच में पाया गया "Rolling Oil" की ₹ 14144/- की क्रय पर ₹ 2829/- के ITC का दावा किया गया था| जो अनुसूची –III से आछादित होने के कारण अनुमन्य नहीं था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा दोनों प्रकरणों में जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित कर लेखापरीक्षा को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-03 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.08 **लाख|**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यापारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –IV राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री अनू इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि ₹ 10,86,623/- को विलंब से जमा किया गया था (विवरण संलगन)।

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार ₹ 1,08,662/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित कर लेखापरीक्षा को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(संलग्नक)

क्र स.	व्यापारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	कर की धनराशि (₹ में)	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड (कर का 10%) (₹में)
1.	**सर्वश्री अनू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हरिद्वार टिन:** 05009719813	201**3**-1**4**	05/2013	25.06.2013	12.07.2013	171602	17160.2
			07/2013	25.08.2013	26.10.2013	145427	14542.7
			08/2013	25.09.2013	26.10.2013	117020	11702.0
			10/2013	25.11.2013	11.01.2014	181161	18116.1
			11/2013	25.12.2013	11.01.2014	158368	15836.8
			01/2014	25.02.2014	29.04.2014	164448	16444.8
			02/2014	25.03.2014	29.04.2014	148597	14859.7
						1086623	108662.3

<u>भाग – 2(ब)</u>

प्रस्तर संख्या – 04 अर्थदंड का अनारोपण ₹ 4.43 लाख|

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xi) के प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी. का गलत दावा किये जाने पर न्यून्तम ₹5000/- या दावाकृत आई.टी.सी. का तीन गुणा, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-IV राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री ब्लूडटेक प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में पैकिंग मेटेरिअल पर ₹ 1,32,560/- तथा रॉ मेटेरिअल की खरीद पर ₹ 10,384/- तथा डीजल की खरीद पर ₹ 1,47,889/- का ITC का दावा किया गया था| जांचोपरांत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ड़ीजल की खरीद पर ₹ 1,47,889/- का ITC नियमानुसार देय नहीं होने के कारण अस्वीकार्य किया गया था परन्तु इस प्रकार व्यौहारी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम किये जाने पर उसके विरूद्ध ITC का दावा करने पर अर्थदण्ड के रूप में दवाकृत ITC ₹ 1,47,889/- का तीन गुणा ₹4,43,667/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कर निर्धारण के समय व्यापारी द्वारा डीजल पर क्लेम ITC अस्वीकार किया गया है| अत: पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत ITC के सम्बंध में अर्थदंड का कोई औचित्य नहीं है|

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि व्यौहारी द्वरा आई.टी.सी का गलत दावा किया गया जबकि नियमानुसार आई.टी.सी. देय नहीं थी। कर निर्धारण के समय पत्रावली की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समीक्षा किये जाने के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था जिससे स्पष्ट था कि व्यौहारी की मंशा आई.टी.सी का गलत लाभ लिये जाने की थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
146/2017-18	01	01,02,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) IV, राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री अनुराग मिश्रा	डिप्टी कमिश्नर(क.नि.)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) -IV, राज्य कर, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र